राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल प्रकीर्ण अपील संख्या 1219/2001

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अपने क्षेत्रीय प्रबंधक, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. ज्ञान सिंह पुत्र भीम सिंह उम्र 50 वर्ष,
2. श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री ज्ञान सिंह उम्र 47 वर्ष,
3. कुमारी संतोष पुत्री स्वर्गीय शंकर सिंह उम्र 3 वर्ष
4. दयाल सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह, उम्र 17 वर्ष,

दावेदार क्रमांक 3 एवं 4 अपने दादा एवं पिता दावेदार क्रमांक 1 के माध्यम से

सभी की जाति रावत, निवासी झाड़ली मानपुरा, जिला पाली। वर्तमान में फ़तेहपुरिया, दोयम, ब्यावर।

...प्रत्यर्थी दावेदार

5. गोगराज पुत्र गोविंद राम अग्रवाल, निवासी ¼ गोपालजी मौहल्ला, बंशी भवन के पीछे, ब्यावर।

---प्रत्यर्थी–स्वामी

(ट्रॉला सं.एचाअर-38/डी-3461)

अपीलार्थी (गण) की ओर से	:	श्री अशोक मेहता के लिए श्री मुदित सिंघवी और श्री विनीत मेहता
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री जे.पी. गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनूप कुमार ढांड

<u>आदेश</u>

24.07.2023

रिपोर्टेबल

1. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में, '1988 का अधिनियम') की धारा 173 के तहत यह अपील दायर करके, अपीलार्थी ने बीमा कंपनी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (संक्षेप में, 'एमएसीटी') बीवर, अजमेर द्वारा दावा प्रकरण संख्या 16/2000 में पारित दिनांक 22.05.2001 के निर्णय को रद्द करने की मांग कर की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को दावेदारों/प्रत्यर्थीगण को दावा याचिका दाखिल करने की तारीख से 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 4,38,000/- रुपये का मुआवजा देने का निर्देश जारी किया गया है।

2. अपीलार्थी के वकील के तर्क का मूल बिंदु यह है कि मृतक स्वयं बीमाकृत वाहन चला रहा था, इसलिए, 1988 के अधिनियम की धारा 147 (1) के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार उसे बीमा पॉलिसी के तहत कवर नहीं किया जा सकता है और दावेदार केवल श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 (संक्षेप में, 'डब्ल्यूसी अधिनियम 1923') के तहत मुआवजे का दावा करने के पात्र होंगे।

3. यह तथ्य विवादित नहीं है कि मृतक शंकर सिंह उस दिन ट्रॉला क्रमांक HR38/D-3461 चला रहा था, जब ट्रक क्रमांक RJ27/G-3233 के चालक द्वारा 24 दिसंबर.1999 को दुर्घटना कारित की गई जिसके कारण ड्राइवर शंकर सिंह की मृत्यु हो गई तथा नोरत और दौलत सिंह नामक दो व्यक्ति घायल हो गए।

4. मृत ड्राइवर शंकर सिंह के कानूनी प्रतिनिधियों ने अधिकरण के समक्ष 11,22,000/- रुपये का मुआवजा प्राप्त करने के लिए अधिनियम 1988 की धारा 163क तहत दावा दायर किया। बीमा कंपनी ने जवाब प्रस्तुत किया और यह विशिष्ट आपत्ति की कि दावा याचिका 1948 के अधिनियम की धारा 147 (1) के तहत निहित प्रावधान के मद्देनजर समर्थन किए जाने योग्य नहीं है और अधिक से अधिक बीमा कंपनी को डब्ल्यूसी अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के तहत दायित्व के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

5. बीमा कंपनी की दलील को नजरअंदाज करते हुए, दावेदारों द्वारा दायर दावा याचिका को इस निर्देश के साथ अनुमति दी गई थी कि अपीलार्थी द्वारा दावेदारों को 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 4,38,000/- रुपये का मुआवजा दिया जाए।

6. दावेदारों/प्रत्यर्थीगण के वकील इस मामले के इस कानूनी पहलू का खंडन करने की स्थिति में नहीं हैं कि जब मृत चालक स्वयं बीमाकृत वाहन चला रहा था तो 1988 के अधिनियम की धारा 163क के तहत बीमा कंपनी के खिलाफ दावा समर्थनीय नहीं था। दावेदार को डब्ल्यूसी अधिनियम 1923 के प्रावधानों के तहत मुआवजा मिल सकता है।

7. दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया और उन पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

8. प्रारंभ में, यह देखा गया है कि बीमा कंपनी द्वारा उठाए गए कानूनी मुद्दे को छुए बिना, अधिकरण ने माना है कि अपीलार्थी 1988 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। जबकि यह तथ्य स्पष्ट है दावेदारों की दलील है कि दुर्घटना के समय मृत चालक बीमाकृत वाहन चला रहा था। मामले के इस दृष्टिकोण में, अधिनियम 1988 की धारा 147(1) के प्रावधानों के तहत निहित प्रावधान लागू होंगे।

9. विधि के उक्त प्रावधानों को निम्नानुसार नोट किया जा सकता है:

> "147. पॉलिसियों की आवश्यकताएँ और दायित्व की सीमाएँ-
>
> (i) इस अध्याय की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए, बीमा की एक पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो-
>
> (क) ऐसे व्यक्ति द्वारा जारी की जाती है जो अधिकृत बीमाकर्ता है; और
>
> (ख) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सीमा तक पॉलिसी में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों को बीमित करती है-
>
> (i) वाहन में ले जाए गए सामान के मालिक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि सहित किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में उसके द्वारा उपगत किसी भी दायित्व के विरुद्ध या सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग द्वारा या उससे उत्पन्न किसी तीसरे पक्षकार की किसी भी संपत्ति को हुए नुकसान के विरुद्ध;
>
> (ii) सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग द्वारा या उससे उत्पन्न के

कारण सार्वजनिक सेवा वाहन के किसी भी यात्री की होने वाली मृत्यु या उससे या शारीरिक चोट के विरुद्ध;

परंतु यह कि पुलिस की आवश्यकता नहीं होगी:

(i) मृत्यु के संबंध में दायित्व को कवर करने के लिए, जो उसके रोजगार के कारण और उसके दौरान उत्पन्न हुई हो, या पॉलिसी द्वारा बीमित व्यक्ति के कर्मचारी या उसके रोजगार के दौरान या उसके कारण किसी ऐसे कर्मचारी को लगी शारीरिक चोट के संबंध में, ऐसे किसी भी कर्मचारी की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के तहत उत्पन्न किसी दायित्व को छोड़कर, जो

(क) वाहन चलाने के कार्य में लगे हुए हैं, या

(ख) यदि यह एक सार्वजनिक सेवा वाहन है जो वाहन के कंडक्टर के रूप में या वाहन पर टिकटों की जांच करने में लगा हुआ है, या

(ग) यह एक वाहक माल है, जिसे वाहन में ले जाया जा रहा है, या

(ii) किसी संविदात्मक दायित्व को कवर करने के लिए।

स्पष्टीकरण- संदेहों को दूर करने के लिए, एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट या किसी तीसरे पक्षकार की किसी संपत्ति को नुकसान, सार्वजनिक स्थान में वाहन के उपयोग के कारण हुआ या उत्पन्न हुआ माना जाएगा, इस बात के बावजूद कि जो व्यक्ति मर गया है या घायल हो गया है या जो संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई है वह दुर्घटना के समय सार्वजनिक स्थान पर नहीं थी, यदि वह कार्य या चूक जिसके कारण दुर्घटना हुई वह सार्वजनिक स्थान पर हुई होती।

10. उपरोक्त प्रावधानों का अवलोकन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि जब बीमित वाहन का चालक उक्त वाहन चला रहा है, और यदि ऐसा वाहन किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो बीमा कंपनी का दायित्व डब्ल्यूसी अधिनियम 1923 के प्रावधानों के तहत मुआवजे के भुगतान तक सीमित होगा।

11. **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रेम बाई पटेल और अन्य, II (2005) एसीसी 365 (एससी)** के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले में भी इसी तरह का प्रश्न उठा था: जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ बीमा कंपनी द्वारा उठाए गए इसी तरह के विवाद को पैरा संख्या 16 और 17 में बरकरार रखा था, जो इस प्रकार है:-

> "16. उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित निर्णय में, माना है कि यदि मृत कर्मचारी के कानूनी प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 166 के तहत याचिका दायर करके मुआवजे के भुगतान के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संपर्क करते हैं, तो कर्मचारी का दायित्व बीमा कंपनी श्रमिक अधिनियम के तहत प्रदान की गई सीमा तक सीमित नहीं है और इसके आधार पर अपीलार्थी बीमा कंपनी को दावेदारों को मुआवजे की पूरी राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, मालिक द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी में एक खंड शामिल था, जो यह था कि यह केवल 'कार्य दायित्व' के लिए ही पॉलिसी है। इसके पॉलिसी की प्रकृति होने के कारण अपीलार्थी का दायित्व कर्मकार अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले दायित्व तक ही सीमित होगा। इसलिए, उच्च न्यायालय के फैसले को तदनुसार संशोधित करने की आवश्यकता है।
>
> 17. जहां तक उच्च न्यायालय का निर्णय मुआवजे और ब्याज की मात्रा से संबंधित है, जो दावेदारों (यहां प्रत्यर्थी संख्या 3 से 6) को भुगतान किया जाना है, की पुष्टि की जाती है। अवार्ड को पूरा करने के लिए अपीलार्थी बीमा कंपनी का दायित्व कर्मकार अधिनियम के तहत उत्पन्न प्रतिपूर्ति तक ही सीमित होगा। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 (वाहन के मालिक) अवार्ड के शेष भाग को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।"

12. इसी तरह का मामला **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मीना वरियाल [(2007) 5 एससीसी 428]** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष फिर से विचार के लिए आया, जिसमें यह देखा गया:

> "13. जैसा कि हम अधिनियम की धारा 147(1) को समझते हैं, उसके अंतर्गत किसी बीमा पॉलिसी को पॉलिसी द्वारा बीमित व्यक्ति के कर्मचारी के रोजगार के दौरान और उसके कारण उत्पन्न होने वाली मृत्यु या चोट के संबंध में दायित्व को कवर करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि यह दायित्व ऐसा न हो, जो सार्वजनिक सेवा वाहन के मामले में ड्राइवर, कंडक्टर और माल वाहन के मामले में, माल के मालिक या उसके प्रतिनिधि के रूप में वाहन में ले जाए जाने वाले व्यक्ति के संबंध में श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत न उत्पन्न हुआ हो। यह प्रावधान किया गया है कि पॉलिसी को किसी संविदात्मक दायित्व को कवर करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। प्राधिकारियों से प्रभावित हुए बिना, हमें इस प्रावधान को इस रूप मे समझने में कोई कठिनाई नहीं

होती है कि यह प्रावधान करता है कि पॉलिसी को किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग के कारण किसी भी तीसरे पक्षकार की होने वाली या उससे उत्पन्न होने वाली देयता के खिलाफ स्वामी को और सार्वजनिक स्थान पर सार्वजनिक सेवा वाहन के किसी भी यात्री को वाहन के उपयोग के कारण या उससे उत्पन्न चोट, मृत्यु या शारीरिक क्षति के प्रति बीमा करना होगा।

परंतुक स्पष्ट करता है कि पॉलिसी में बीमाधारक के किसी कर्मचारी को उसके रोजगार में या उसके दौरान होने वाली शारीरिक चोट या मृत्यु के संबंध में कवर करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर, पूर्वगामी के अंतिम प्रावधान में इस आशय का एक अपवाद प्रदान किया गया है कि पॉलिसी के अंतर्गत वाहन चलाने वाले या सार्वजनिक सेवा वाहन में एक कंडक्टर के रूप में काम करने वाले कर्मचारी या यदि वह मालवाहक वाहन है, तो नियोक्ता के सामान ले जाने वाले वाहन में यात्रा करने वाले कर्मचारी की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत उत्पन्न होने वाले दायित्व को कवर किया जाना चाहिए। धारा 149(1), जो किसी अवार्ड की पूर्ति करने के लिए बीमाकर्ता पर दायित्व डालती है, केवल ऐसे दायित्व के संबंध में ही अवार्ड प्रदान करने की बात करती है जिसे धारा 147 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के तहत पॉलिसी द्वारा कवर किया जाना आवश्यक है (जो पॉलिसी की शर्तों द्वारा कवर किया गया दायित्व है)। इसलिए इस प्रावधान का उपयोग दायित्व के दायरे को बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता है यदि यह अधिनियम की धारा 147 के संदर्भ में मौजूद नहीं है।

14. अधिनियम के अध्याय XI के तहत बीमा पर जोर देने का उद्देश्य अनिवार्य रूप से तीसरे पक्षकार या उनके व्यक्ति की संपत्तियों से संबंधित दायित्व को कवर करना प्रतीत होता है और बीमित नियोक्ता के कर्मचारियों के संबंध में, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत उत्पन्न होने वाला दायित्व ड्राइवर, कंडक्टर और माल ले जाने वाले मालवाहक वाहन में सवार व्यक्ति के संबंध में हो सकता है। धारा 147 की इस स्पष्ट समझ पर, हमें यह मानना मुश्किल लगता है कि बीमा कंपनी, मौजूदा मामले में, अपने कर्मचारियों में से एक की मृत्यु के संबंध में मालिक, नियोक्ता कंपनी, बीमाधारक को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी थी, जो दावे के मुताबिक ड्राइवर नहीं था। यह ध्यान में रखा जाए कि दायित्व कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत उत्पन्न होने वाला दायित्व नहीं है और दावेदार द्वारा रखे गए मामले पर यह संदिग्ध है कि क्या मृतक को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत आने वाले श्रमिक के रूप में समझा जा सकता है। इसलिए अधिनियम की धारा 147 को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बीमा कंपनी मौजूदा मामले में बीमाधारक को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

13. अधिनियम की धारा 147(1) से जुड़े परंतुक के तहत निहित प्रावधानों के मद्देनजर, यह न्यायालय यह निर्णय बनाए रखने में स्वयं को असमर्थ पाता है कि अपीलार्थी बीमा

कंपनी 1988 के अधिनियम की धारा 163क के तहत मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है, जब यह स्वीकार किया गया है कि वाहन के मालिक के रोजगार के दौरान, मृत चालक द्वारा उसके पद की क्षमता में स्वयं वाहन चलाया जा रहा था, इसलिए, बीमा पॉलिसी के संदर्भ में बीमा कंपनी की देनदारी को 1923 के डब्ल्यूसी अधिनियम के तहत लागू किए जाने योग्य सीमा तक सीमित किया जाना होगा।

14. अतः अपील स्वीकार की जाती है। आपेक्षित निर्णय में अधिकरण द्वारा दिए गए निर्देश को डब्ल्यूसी अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे की राशि की पुनर्गणना करने के लिए अधिकरण को आगामी निर्देश के साथ संशोधित किया गया है।

15. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अपीलार्थी बीमा कंपनी का दायित्व डबल्यूसी अधिनियम 1923 के तहत उत्पन्न होने तक ही सीमित होगा। प्रत्यर्थी सं. 5 (स्वामी) अवार्ड के शेष भाग की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा।

16. आदेश से अन्यथा जाने से पूर्व, यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि अवार्ड की गणना होने तक दावेदारों को प्राप्त होने वाली धनराशि की वसूली नहीं की जायेगी। और यदि डब्ल्यूसी अधिनियम 1923 के अनुसार कम राशि की गणना की जाती है, तो दावेदार उनके द्वारा प्राप्त अतिरिक्त राशि को बीमा कंपनी को वापस करने के लिए बाध्य होंगे।

17. उपरोक्त निर्देशों के साथ, मामला समाप्त किया जाता है। स्थगन आवेदन और सभी आवेदन (लंबित, यदि कोई हो) का भी निपटारा किया जाता।

(अनूप कुमार ढांड), न्यायमूर्ति

KuD/9/Pcg

टिप्पणीः इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।
अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।